न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 01/2022 अपील (GCMS/22/113)
पंजीयन दिनांक - 14.11.2022
आदेश दिनांक - 31.01.2023

श्री नारायणलाल पालीवाल पिता मोहनलाल पालीवाल, निवासी बड़ी जोशीयों की भागल, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।

-अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर (राज.)

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री कुन्दनसिंह सोनी - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के आदेश क्रमांक एफ 2022 ( )न्याय/आर्म्स/2022/1951 दिनांक 07.04.2022

निर्णय

दिनांक 31.01.2023

यह अपील अपीलर्थी ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-18 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के आदेश क्रमांक एफ 2022 ( ) न्याय/आर्म्स/2022/1951 दिनांक 07.04.2022 के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी श्री नारायणलाल पालीवाल पिता मोहनलाल पालीवाल, निवासी, बड़ी जोशीयों की भागल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने हेतु एक आवेदन दिनांक 16.02.2021 को जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- उक्त प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर एवं अति. पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. जोन, उदयपुर से नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने का हवाला देते हुए आदेश क्रमांक एफ 2022 ( ) न्याय/आर्म्स/2022/1951 दिनांक 07.04.2022 से आवेदक का आवेदन अस्वीकार कर निरस्त कर दिया गया।

- उक्त आदेश से असंतुष्ट होने से अपीलार्थी द्वारा एक अपील अंतर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम के न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के समक्ष दिनांक 10.11.2022 को प्रस्तुत की। उक्त अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर से अभिलेख तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ता दिनांक 24.01.2023 को उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई।

- **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि** जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी जोन, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध जो नकारात्मक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में जांच के समय अपीलार्थी को नहीं सुना गया न अपीलार्थी को जवाब का मौका दिया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलार्थी को बिना सुने शस्त्र जारी करने के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावें।

- **विद्वान राजकीय पेरोकर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।**

- **हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस, अपील मेमों में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।**

- उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2022 को पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपील दिनांक 10.11.2022 को पेश की गई है, जो कि मयाद बाहर है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनिमय में वर्णित अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी नही होना एवं आदेश की सूचना नही देने संबंधी निवेदन तथा अखण्डित शपथ पत्र के आधार पर न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

- पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि श्री नारायणलाल पालीवाल पिता मोहनलाल पालीवाल, निवासी, बड़ी जोशीयों की भागल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने हेतु एक आवेदन दिनांक 16.02.2021 को जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर एवं अति. पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. जोन, उदयपुर से नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने का हवाला देते हुए अपीलार्थी के आवेदन को आदेश क्रमांक एफ 2022 ( ) न्याय/आर्म्स/2022/1951 दिनांक 07.04.2022 से आवेदक का आवेदन अस्वीकार कर निरस्त कर दिया गया।

- प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने बाबत आवेदन दिनांक 16.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अपीलार्थी का आवेदन खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुख्य कारण यह अंकित किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर एवं अति. पुलिस अधीक्षक, सी.आई. डी. जोन, उदयपुर से नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिस कारण अपीलार्थी का आवेदन आदेश दिनांक 07.04.2022 से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया गया।

- प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार अपीलार्थी द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने बाबत अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.02.2021 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थी के आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके पत्र क्रमांक

एफ 21/11 ( ) न्याय/शस्त्र/21/8039 दिनांक 03.03.2021 से आवेदन के आवेदन के संबंध में आचरण एवं हैसियत संबंधी जाचं करवाकर विभिन्न बिन्दुओ पर जिला पुलिस अधीक्षक, अति. पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. जोन (विशेष शाखा), उदयपुर से रिपोर्ट चाही गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक, अति. पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. जोन (विशेष शाखा), उदयपुर द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध नकारात्मक जांच रिपोर्ट में अपीलार्थी को कोई सुनवाई का अवसर अथवा जवाब का मौका नही दिया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को रिपोर्ट प्रेषित की गई।

- उपरोक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.04.2022 में भी अपीलार्थी को कोई सुनवाई का अवसर अथवा जवाब का मौका नही दिया गया।

- हम यह पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुने बिना जो निर्णय पारित किया है, वह तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, अतएवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को विधिवत् सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण में साक्ष्य व जांच के बाद इस प्रकरण में अजसरे नवनिर्णय पारित करें। पत्रावली शुमार फैसल होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर